तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कानाराम बलाई **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी **अपील नम्बरः 2025/1748**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस एडमिशन पर सुनी गई। अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील ताबेउज्र मियाद विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी की फर्जी व कूटरचित पॉवर ऑफ अटोर्नी बनाकर उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ने फ्रोड प्लें कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में एवं अपीलाधीन आदेश से प्रथम दृष्टया अपीलार्थी को क्षति होने का अंदेशा भी प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2024 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर पत्रावली इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। यदि अपीलार्थी भविष्य में कभी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने चाहे तो तदानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करवा सकेंगा। आदेश सुनाया गया। **(पूनम)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	